न्यायालय जिला कलक्टर बून्दी (राज.)

पीठासीन अधिकारी

अक्षय गोदारा
आई.ए.एस.

मिसल संख्या
मैनुअल नं. 22/प्रा.पत्र/2020
(GCMS No. 2020/00024)

तारीख दायरा
19.02.2020

तारीख निर्णय
19.02.2024

राजस्थान सरकार जरिये
तहसीलदार, बून्दी (जिला बून्दी)

– प्रार्थी

बनाम

शंकर, शम्भू पि0 भूरा, छोटा पुत्री भूरा, भूलीबाई बेवा भूरा,
जाति नायक निवासी नन्दपुरा हाल बून्दी (जिला बून्दी)

– अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत नियम 14(4) राजस्थान भू राजस्व अधिनियम,1956

उपस्थित–

प्रार्थी की ओर से पेरोकार सरकार।
अप्रार्थीगण की ओर से श्री आशुतोष शर्मा एडवोकेट।

निर्णय

प्रार्थी ने यह प्रार्थना पत्र अप्रार्थीगण के पिता भूरा आ. नाथू जाति नायक को किये गये भूमि आवंटन में से खसरा संख्या 16 रकबा 5 बीघा 19 बिस्वा वाकेग्राम नन्दपुरा आवंटन आदेश दिनांक 04.11.1977 को निरस्त किये जाने हेतु नियम 14(4) राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 के अन्तर्गत प्रस्तुत किया है। संलग्न नकल जमाबंदी संवत् 2070 से 2073 के अनुसार अप्रार्थीगण उक्त आराजी पर गैर खातेदार दर्ज रेकार्ड है।

प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर पंजिका कमांक 22/2020 पर दर्ज रजिस्टर की जाकर GCMS No.2020/00024 ऑनलाईन इन्द्राज किया गया। अप्रार्थीगण को वास्ते सुनवाई जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थीगण द्वारा उपस्थित न्यायालय आकर दिनांक 01.09.2021 को जवाब पेश किया गया। जिसमें अप्रार्थीगण द्वारा उक्त कार्यवाही बिना जांच व गलत आधार पर पेश किये जाने से खारिज किये जाने का निवेदन किया गया।

जिला कलक्टर, बून्दी

तत्पश्चात बहस उभयपक्ष सुनी गयी।

पेरोकार सरकार ने बहस के दौरान प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों पर प्रकाश डालते हुये तर्क प्रस्तुत किये कि वादग्रस्त आराजी खसरा संख्या 16 रकबा 5 बीघा 19 बिस्वा भूरा आ. नाथू जाति नायक निवासी नन्दपुरा को दिनांक 04.11.1977 को आवंटन हुई थी। मुताबिक रिपोर्ट हल्का पटवारी आवंटी का आवंटित भूमि के उक्त खसरा नम्बर पर कब्जा काश्त नहीं है। इस प्रकार आवंटी या उसके वारिसान द्वारा आवंटन शर्तो की पालना नहीं किये जाने से प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर आवंटी के पक्ष में किया गया उक्त आवंटन निरस्त किया जाकर भूमि सिवायचक दर्ज रेकार्ड की किये जाने का अनुरोध किया गया।

अप्रार्थी के अभिभाषक ने बहस के दोरान अपने तर्क प्रस्तुत करते हुए व्यक्त किया कि अप्रार्थीगण के पिता भूरा आ. नाथू जाति नायक निवासी नन्दपुरा को अनुसूचित जाति के भूमिहीन कृषक के रूप में दिनांक 04.11.1977 को खसरा नं. 16 रकबा 0.9151 हैक्टेयर, खसरा नं. 321/7 रकबा 0.0461 हैक्टेयर एवं खसरा नं. 324/8 रकबा 0.0615 हैक्टेयर भूमि आवंटित की गई थी। बाद आवंटन आवंटी को आवंटन भूमि का मौके पर कब्जा संभला दिया गया तथा राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी के पिता भूरा आ. नाथू नायक का नाम गैर खातेदार के रूप में अंकित किया गया। आवंटी काबिज होकर काश्त करता रहा है तथा आवंटी भूरा की मृत्यु के बाद उसके वारिसान आवंटित भूमि पर काबिज होकर काश्त करते चले आ रहे है। वर्तमान में भी आवंटित भूमि पर अप्रार्थीगण काबिज काश्त है तथा संवत् 2076 में खरीब में सोयाबीन व रबी में गेहू की फसल पैदा की है। हल्का पटवारी द्वारा न तो मौका बाबत कोई जांच की गई और न ही मौके के किसी स्वतंत्र गवाह के हस्ताक्षर करवाये। हल्का पटवारी द्वारा मौका रिपोर्ट पेश नहीं की जिससे उक्त भूमि खसरा नं.16 रकबा 5 बीघा 19 बिस्वा पर कौन किस आधार पर काबिज है, स्पष्ट नहीं है। अप्रार्थीगण को सुनवाई का अवसर भी प्रदान नही किया गया। जबकि आवंटन नियमों के अनुसार आवंटन के तीन वर्ष के पश्चात आवंटी को खातेदार अधिकार प्रदान किया जाना चाहिये, अन्यथा आवंटी को तीन वर्ष बाद स्वतः ही खातेदार अधिकार प्राप्त हो जाते है। प्रार्थी द्वारा आवंटी को खातेदारी अधिकार प्रदान न कर गलत हल्का पटवारी रिपोर्ट के आधार पर आवंटन निरस्तीकरण की कार्यवाही की गई है जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के विपरित होने से खारिज किये जाने योग्य है। अप्रार्थिया भूलीबाई की मृत्यु दिनांक 07.6.2019 को हो चुकी है। ऐसे में मृतक व्यक्ति के विरूद्ध कार्यवाही पोषनीय नहीं है। अभिभाषक अप्रार्थी द्वारा अपने कथन के समर्थन में आर.आर.टी. 2018(1) पेज 285 एवं आरआरटी 2018(1) पेज 126 की नजीरे पेश करते हुये प्रार्थना पत्र प्रार्थी खारिज किये जाने का निवेदन किया गया।

न्यायालय जिला कलक्टर बून्दी (राज.) सत्यमेव जयते

जिला कलेक्टर, बून्दी

न्यायालय ने पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया एवं बहस उभयपक्ष पर मनन किया। जिससे जाहिर आया कि भूरा आ. नाथू जाति नायक निवासी नन्दपुरा को दिनांक 04.11.1977 को किया गया भूमि खसरा सं. 16 रकबा 5 बीघा 19 बिस्वा वाकेग्राम नन्दपुरा का आवंटन निरस्त किये जाने हेतु प्रकरण यहां भिजवाया गया है। पत्रावली पर नामान्तरकरण सं. 10 की फोटोप्रति संलग्न की हुई है जिससे आवंटित भूमि पर आवंटी भूरा आ. नाथू को गैर खातेदार दर्ज रेकार्ड किया जाना प्रकट है। प्रकरण में तहसीलदार बून्दी द्वारा प्रेषित प्रपत्र में बिन्दू संख्या 4(1) मौके पर आवंटी का कब्जा काश्त नहीं हैं, यह अंकित है, किन्तु तहसीलदार बून्दी द्वारा उक्त तथ्य किसी आधार पर अंकित किया गया, इसके संबंध में हल्का पटवारी की मौका रिपोर्ट संलग्न नहीं है, जबकि अप्रार्थीगण द्वारा जवाब प्रार्थना पत्र में आवंटित भूमि पर उनका कब्जा काश्त होना अंकित किया है। इतना ही नहीं, नकल खसरा गिरदावरी संवत् 2074 से 2077 में उक्त खसरा संख्या 16 रकबा 5 बीघा 19 बिस्वा पर गेहूँ की फसल काश्त होना अंकित है। जिससे ज्ञात होता है कि उक्त कृषि भूमि पड़त नहीं होकर उस पर खेती की जा रही है, किन्तु उक्त गेहूँ की फसल किसके द्वारा काश्त की गई है, इसका पत्रावली पर कोई उल्लेख नहीं है। ऐसे में उक्त खसरा सं. 16 पर कब्जा काश्त नहीं होने बाबत तहसीलदार बून्दी द्वारा अंकित तथ्य प्रमाणित नहीं होता है।

उक्त विवेचन से स्पष्ट है कि वादग्रस्त आराजी खसरा संख्या 16 पर कब्जा काश्त है परन्तु मौके पर कब्जा किसका है ? इसके संबंध में हल्का पटवारी की मौका रिपोर्ट पत्रावली पर संलग्न नहीं है। अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थी दस्तावेजी साक्ष्य के अभाव में अपूर्ण होने से ख़ारिज किया जाता है। साथ ही तहसीलदार रायथल को निर्णय की प्रमाणित प्रति भिजवाई जाकर निर्देश दिये जाते है कि अप्रार्थीगण की गैर खातेदारी में दर्ज वाकेग्राम नन्दपुरा की उक्त कृषि भूमि खसरा संख्या 16 की मौका स्थिति की जांच की जाकर, यदि गैर खातेदारान का मौके पर कब्जा काश्त नहीं पाया जाता है, तो ऐसी स्थिति में मूल आवंटन पत्रावली, मौका रिपोर्ट, नकल जमाबंदी, खसरा गिरदावरी एवं अन्य आवश्यक दस्तावेजों सहित प्रकरण तैयार कर नियमानुसार सक्षम न्यायालय में प्रस्तुत किया जावे। पत्रावली फैसले में शुमार होकर दाखिल दफ्तर करवाई जावे।

आदेश आज दिनांक 19.02.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अक्षय गोदारा)
जिला कलेक्टर, बून्दी